

बिहार सरकार
वाणिज्य-कर विभाग
—:अधिसूचना:—

संचिका संख्या :—6/अ0-03-02/2018

पटना, दिनांक-18

श्रीमती कुमारी रश्मि, राज्य-कर संयुक्त आयुक्त, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना को बिहार सेवा संहिता के नियम-227, 230 एवं 248 के तहत दिनांक-27.05.2026 से 24.06.2026 तक कुल 29 (उनतीस) दिनों का उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उक्त उपार्जित अवकाश की स्वीकृति के उपरांत श्रीमती रश्मि के अवकाश लेखा में (271-29=242) (दो सौ बयालीस) दिन उपार्जित अवकाश शेष रह जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(विजय कुमार)

सरकार के उप सचिव,

वाणिज्य-कर विभाग,

बिहार, पटना।

ज्ञापांक:-6/अ0-03-02/2018 1617

/पटना, दिनांक- 11/05/26

प्रतिलिपि:-प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0)विभाग, बिहार, पटना-800015/ कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/नोडल पदाधिकारी (स्था0), एच0आर0एम0एस0, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 गैनेजर, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना एवं श्रीमती कुमारी रश्मि, राज्य-कर संयुक्त आयुक्त, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

18.05.26
सरकार के उप सचिव,
वाणिज्य-कर विभाग,
बिहार, पटना।